छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 262/2006

श्री अली अख्तर रिजवी .... आवेदक
अधिवक्ता
मिशन अस्पताल के पास
केदारपुर, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
कार्यालय, उपसंचालक,
कृषि विभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(31 अगस्त 2006)

आवेदक श्री अली अख्तर रिजवी निवासी सरगुजा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा उपसंचालक, कृषि, अम्बिकापुर से आवेदन पत्र दिनांक 15 जून 2006 के द्वारा राजपुर एवं लुंडरा में रतनजोत कितने एकड़ भूमि में लगाया गया? कितने व्यक्तियों को पौधा दिया गया? कितनी राशि शासन से प्राप्त हुई और कहां खर्च की गई? आवेदन पत्र दिनांक 27.02.06 के द्वारा ग्राम घंघरी में स्टाप डेम, ग्राम बटवाही में तालाब, लूंडरा विकासखण्ड में मेड़बंधी का कार्य, ग्राम घघरी में मेड़बंधी एवं जनपद पंचायत तालाब के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति, स्थल भूमि का नक्शा, मस्टर रोल मूल्यांकन एवं राशि के भुगतान से संबंधित जानकारी चाही थी। आवेदक के द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी से भी आवेदन पत्र दिनांक 09.03.06 द्वारा संबंधित जानकारी चाही गई थी, चूंकि उक्त पद उपसंचालक कृषि के पद से अलग है अतः उनके संबंध में आयोग के द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। आवेदक ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

आयोग के द्वारा अनावेदक उपसंचालक कृषि को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 28.06.06 को आवेदक के द्वारा यह बताये जाने पर कि उसे जानकारी नहीं मिली है, आयोग ने आवेदक को एक सप्ताह के अंदर निःशुल्क जानकारी दिये जाने के निर्देश दिये तथा जानकारी निर्धारित अवधि में न दिये जाने के कारण 10 हजार रूपये की शास्ति क्यों न आरोपित किये जावें, का कारण बताओ नोटिस भी जारी किये।

दिनांक 19.07.06 को अनावेदक ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया। दिनांक 23.08.06 को दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा चार आवेदन पत्रों के द्वारा सूचना अधिकारी उपसंचालक, कृषि से जानकारी मांगी गई तथा चारों आवेदन

पत्रों पर एक साथ शिकायत की गई। नियमानुसार चारों आवेदन पत्र अलग–अलग तारीखों में सूचना अधिकारी को दिये गये थे तथा उन चारों की विषयवस्तु अलग–अलग थी। अतः इन चारों के संबंध में अलग–अलग आवेदन या अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि उसे निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अतः अनावेदक पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। अनावेदक के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने किसी निर्धारित समयावधि की जानकारी नहीं मांगी है वरन् सामान्य रूप से बिना किसी निर्धारित अवधि की जानकारी मांगी है जिससे कि जानकारी का स्वरूप बहुत विस्तृत है तथा इसके दिये जाने में लगभग 3,40,498.00 रूपये का व्यय होगा और इतनी अधिक जानकारी तैयार करने में समय भी लगेगा। अनावेदक के द्वारा आवेदक को सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय से संबंधित व्यक्ति विशेष के पदस्थि तथा उससे संबंधित जानकारी दिनांक 01.07.06 को आवेदक को प्रेषित की गई। इसी प्रकार पत्र दिनांक 03.07.06 के द्वारा राजपुर एवं लुंडरा में रतनजोत के पौधे लगाये जाने से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। आवेदक के द्वारा जानकारी इस आधार पर नहीं ली गई कि उसे सभी आवेदन पत्रों की जानकारी एक साथ प्रदान की जावे। उपसंचालक, कृषि के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दिये जाने का कारण यह बतलाया गया कि आवेदक के द्वारा माह मार्च में आवेदन पत्र दिये गये थे। इस माह में बजट संबंधी कार्यों में व्यस्त होने तथा कर्मचारियों की कमी होने से जानकारी नहीं प्रदान की जा सकी। अनावेदक का यह भी अनुरोध है कि आवेदक ने जो अन्य जानकारी मांगी है वे काफी विस्तृत हैं तथा उसमें शासन का अधिक व्यय होगा।

प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन पत्रों में किस अवधि की जानकारी उसे चाहिए, इसका उल्लेख नहीं किया गया। किस अवधि के निर्माण कार्य में अथवा रतनजोत के पौधे से संबंधित जानकारी चाहिए, यह आवेदन में स्पष्ट होना चाहिए था। राजपुर एवं लुंडरा ब्लाक में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत क्या–क्या कार्य हुए, इसकी जानकारी बहुत विस्तृत है। इस योजना के अंतर्गत दोनों विकासखण्डों के गांवों में अलग–अलग कार्य हुए हैं। उन कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों का नाम, पता तथा भुगतान की जानकारी बहुत विस्तृत होगी। आवेदक को जो जानकारी दी गई थी वह भी आवेदक ने लेने से इंकार किया है। आवेदक के द्वारा जानकारी लिये जाने से इंकार करना उचित नहीं है। यदि दी गई जानकारी अपूर्ण थी तो आवेदक को विधिवत् अपील अथवा शिकायत करने का अधिकार था। चूंकि आवेदक ने काफी विस्तृत जानकारी चाही थी अतः इसे एकत्रित करने तथा प्रदान करने में शासन को काफी अधिक राशि व्यय करनी पड़ती तथा आवेदक का आवेदन पत्र भी स्पष्ट नहीं था। अतः संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने का औचित्य नहीं होने से ये निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख का अवलोकन निःशुल्क करा दिया जावे तथा आवेदक इसके पश्चात् जो भी जानकारी हेतु आवेदन करे, उसे विधिवत शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर जानकारी शुल्क जमा करने के पश्चात् निर्धारित अवधि में प्रदान की जावे। प्रस्तुत प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक के द्वारा जानकारी देने से जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अनावेदक के विरूद्ध 10 हजार रूपये की शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। इसी के साथ ही प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि समय पर आवेदक को वांछित जानकारी विस्तृत होने की तथा

कितनी फीस जानकारी हेतु जमा की जानी है, इसकी सूचना नहीं दी गई, इससे आवेदक को अनावश्यक रूप से आयोग को शिकायत करनी पड़ी। आवेदक सरगुजा का रहने वाला है। उसे वित्तीय क्षति एवं मानसिक यातना भी हुई। अतः यह भी आदेश दिये जाते हैं कि कृषि विभाग के द्वारा आवेदक को 500/– रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। आदेश की प्रति सचिव, कृषि विभाग को भेजी जावे।

उक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त